क्रम संख्या–98 (ग)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–5

संख्या 1356/XX–5/25/05(02)2013

देहरादून, 12 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–468, दिनांक 09.03.2023 को अतिक्रमित करते हुए वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से कपाट बंद होने तक श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हे ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है एवं जिनका वे श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत उपयोग कर सकेंगे।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30/गृह/427–2025–100+10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।